मोटर यान अंतिममा 1988 (1988 का केंद्रीय अंतिममा संख्या 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (l) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (k) से (a) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 7(100)(71) परि/नियम/2002/II दिनांक 27.05.2014 के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकरण, इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एक 9(29)/एसटीए/आरटीए/परि/मु./1988/II/9191 दिनांक 08.08.2011 को अभिक्रियता करते हुए, अन्यथा रूप से नगरपालिका या नगर सुधार चयन क्षेत्र के भीतर चलायी जा रहीं मंजिली गाड़ियों से मिलने, मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिकतम यात्री भार नीचे उल्लेखित रूप से नियत करती है—

(1) साधारण सेवा 85 पैसे प्रति किमी. प्रति यात्री।
(2) एक्सप्रेस/मेल सेवा 90 पैसे प्रति किमी. प्रति यात्री।
(3) सेंट्रल डीलर्स सेवा 98 पैसे प्रति किमी. प्रति यात्री।
(4) डीलर्स सेवा 150 पैसे प्रति किमी. प्रति यात्री।
(5) वातावरण खाता 220 पैसे प्रति किमी. प्रति यात्री।

स्पष्टीकरण संख्या –1

यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होगी के व्यस्तक यात्रियों से 5 किमी. की दूरी तक प्रातार व्यूंतम यात्री भार्व 5.00 रु. होगा और बाकी यात्रियों के मामले में 2 रुपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या –2

"एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिक्रियता है जो प्राधिक परिवहन प्राधिकरण या यथाशिष्टित, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुसार ठहरने के स्थान तथा जिला नक्काल, तहसील नक्काल एवं पंचायत समिति गुजराल पर ठहरने के विवाद कम से कम 40 किमी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गदर्दीदार सीटें लगी होगी।

स्पष्टीकरण संख्या –3

(क) "सेंट्रल डीलर्स" सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिक्रियता है जिसमें—

1. मुख्य स्तम्भ दंडन 736.6 मिलियन. से अधिक है,
2. सीट फ्रेम बिस्मिनक किस्म के अंतिम उच्च पूँछ बनाने के किस्त में सिर बिस्मिनक की योग्यता नहीं है। सीट फ्रेम की ऊंचाई सीट फ्रेम रेल सहित 1040 मिलियन. हो,
3. सीट की पूँछ से पूँछ तक की दूरी 762 मिलियन. हो,
4. विकसित किस्म का रचना पूँछ बिस्मिनक के कम से लिया गया हो, तथा
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मिलियन. X 406.4 मिलियन.
(ख) "डॉलास सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिषेक है जिसमें:

1. मुख्य स्तम्भ केंद्र 1455.10 निम्न. से कम नहीं है,
2. सीटें या तो शीशे, पीछे की ओर खुलते रहे या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 निम्न. हो,
4. 8 पंखे, 5 टंबुर लाइट और न्यूनतम दो एयर केंट्रीलेटर लगे हो,
5. सीट क्रम की ऊँचाई 1043 निम्न. हो,
6. बॉडी सर्वसाधारण (इंपुल्सेटर) हो, तथा
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 निम्न. X 456 निम्न. हो।

स्पष्टीकरण संख्या -4

यात्री भाड़ा 5 किमी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगति किया जाये। इस प्रयोजन के लिए 0.5 किमी. से अधिक 5 किमी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जायेगा और 0.5 किमी. तक की दूरी को छोटे से दिखाया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या -5

संगति की यात्री भाड़े की राशि 1.00 रु. के गुणक में निर्धारित की जायेगी और 49 पैसे या कम की राशि को छोटे से दिखाया जायेगा तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रु. तक पूर्णांकित की जाएगी।

उदाहरणार्थः

1.01 रु. से 1.49 रु. = 1.00 रु. 
1.50 रु. से 1.99 रु. = 2.00 रु.

(राजेश शर्मा)
सदस्य
राज्य परिवहन प्रबंधक
परिवहन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।


प्रतिलिपि:

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुख्यमंत्र, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 24-6-14 में प्रकाशित एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विषय को निर्देशन की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री गहोदय।
3. निजी सचिव परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव. प्रमुख शासन सचिव कित्त, राजस्थान सरकार।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
7. विभि एवं न्यायिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त आपर परिवहन आयुक्त जोन।
9. समस्त सचिव/अति. तत्क्षण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार। (समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी)
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रभारी कर संग्रह केंद्र, राजस्थान।
12. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सुनिश्चित।
13. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
निर्देशक,
राज्य परिवहन प्राधिकार